न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2021

1. भूपसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा। :—वादी

ब ना म

1. उदमी पुत्र श्री पन्ना जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र उदमी जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. हरदत पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. मदनलाल पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
5. कमला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
6. चन्दो पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
7. संतोष पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
8. छोटी उर्फ घोटी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
9. सरोज पुत्री रेशमी दोहिती उदमी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी कलाना हाल बांडाहेडी हिसार।
10. शंकून्तला पुत्री रेशमी दोहिती उदमी पत्नी राजेश जाति जाट निवासी कलाना हाल हांसियावास त0 व जिला चुरू।
11. सुशील पुत्र महावीर पौत्री रेशमी जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
12. सिलोचना पुत्री महावीर पौत्री रेशमी जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 286/282 के खसरा सं0 13 की 3.7310है0, खसरा सं0 14/1 की 0.4430है0, खसरा सं0 210 की 6.6140है0, खसरा सं0 211 की 1.543है0, खसरा सं0 555/2 की 2.7190है0, खसरा सं0 653/286 की 5.0080है0 कुल 20.0580है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 उदमी के नाम से 19.552है0 खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 उदमी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 5 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी भूपसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन, प्रतिवादी सं0 3 हरदत, प्रतिवादी सं0 4 मदनलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सत्यनारायण
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2021

1. भूपसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. उदमी पुत्र श्री पन्ना जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र उदमी जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. हरदत पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. मदनलाल पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
5. कमला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
6. चन्दो पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
7. संतोष पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
8. छोटी उर्फ घोटी पुत्री उदमी जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
9. सरोज पुत्री रेशमी दोहिती उदमी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी कलाना हाल बांडाहेडी हिसार।
10. शंकून्तला पुत्री रेशमी दोहिती उदमी पत्नी राजेश जाति जाट निवासी कलाना हाल हांसियावास त0 व जिला चुरू।
11. सुशील पुत्र महावीर पौत्री रेशमी जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
12. सिलोचना पुत्री महावीर पौत्री रेशमी जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी
वकील श्री प्रभूराम गोदारा: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 05.03.21

कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)भादरा

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 [illegible] की 0.4430है0, खसरा 286/282 के खसरा सं0 13 की 3.7310है0, खसरा [illegible] सं0 210 की 6.6140है0, खसरा सं0 211 की 1.[illegible] खसरा सं0 555/2 की 2.7190है0, खसरा सं0 653/286 की [illegible] कुल [illegible] है0 [illegible] खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 उदमी के नाम से 19.552है0 खातेदारी [illegible] है। जो पहले प्रतिवादी स0 1 के पिता पन्ना की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त [illegible] भूमि पैतृक कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। पन्ना के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 उदमी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 12 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु भूपसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी कणाऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम. कणाऊ खाता सं0 286/282 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी संवत 2031–34 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र रामकिशन ग्राम पंचायत कणाऊ 5, वारिस प्रमाण पत्र रेशमी ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 6, शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4, 5 व 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में उदमी के वारिसान में एक पुत्र रामकिशन व दो पुत्री रेशमी व घोटादेवी चूंकि रेशमी की मृत्यु होने के कारण रेशमी के जायज वारिसान प्रदर्श 6 के अनुसार दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में रामकिशन के तीन पुत्र हरदतसिंह, भूपसिंह, मदनलाल व तीन पुत्री कमला, चन्दो व संतोष के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 286/282 के खसरा सं0 13 की 3.7310है0, खसरा सं0 14/1 की 0.4430है0, खसरा सं0 210 की 6.6140है0, खसरा सं0 211 की 1.543है0, खसरा सं0 555/2 की 2.7190है0, खसरा सं0 653/286 की 5.0080है0 कुल 20.0580है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 उदमी के नाम से 19.552है0 खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 उदमी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 [illegible] वारिसान [illegible] के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 5 ता 12 ने अपना ह[illegible] वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता [illegible] के पक्ष में त्याग कर शुन्य [illegible] मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार [illegible] पर स्वीकृत किया जाता है।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:43 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 286/282 के खसरा सं0 13 की 3.7310है0, खसरा सं0 14/1 की 0.4430है0, खसरा सं0 210 की 6.

Scanned with CamScanner

6140है0, खसरा सं0 211 की 1.543है0, खसरा सं0 555/2 की 2.7190है0, खसरा सं0 653/286 की 5.0080है0 कुल 20.0580है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 उदमी के नाम से 19.552है0 खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 उदमी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 5 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया हैं इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी भूपसिंह व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन, प्रतिवादी सं0 3 हरदत, प्रतिवादी सं0 4 मदनलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner